बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

पत्रांक–बजट–169/43/2026-SEC_5-EDU DEPT (C.No-647300).165

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) बिहार,
वीरचन्द पटेल, पथ, पटना।

पटना, दिनांक– 23/11/2026

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा – आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– सहयोग पोर्टल पर दायर परिवाद एवं जिलो से प्राप्त मांग पत्र के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत राज्य के मधुबनी एवं अन्य जिलों में प्रखण्ड परियोजना प्रबंधन इकाई के तहत कार्यरत रहे प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक के वित्तीय वर्ष 2024–25 के बकाया मानदेय भुगतान हेतु 10,00,000/– (दस लाख रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति एवं विमुक्ति के संबंध में।

आदेश :– स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण अध्ययन–अध्यापन की व्यवस्था, व्यवहारिक ज्ञान के समान अवसर प्रदान करने, कम्प्यूटर एवं भाषा सक्षमता आदि की व्यवस्था कायम करने, विद्यार्थियों की उपस्थिति में लगातार इजाफा, विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन एवं एक सुन्दर शैक्षणिक वातावरण बनाने हेतु अनुश्रवण की व्यवस्था के तहत प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड प्रबंधन इकाई के अंतर्गत प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक का गठन किया गया था। उक्त के आलोक में प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक के वित्तीय वर्ष 2024–25 के बकाया मानदेय भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में 10,00,000/– (दस लाख रूपये) मात्र की स्वीकृति एवं विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त राशि के व्यय का विकलन वित्तीय वर्ष 2026–27 में निम्न बजटीय शीर्ष के आधार पर किया जायेगा–

मांग संख्या–21, मुख्य शीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष–02–माध्यमिक शिक्षा, लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन, उपशीर्ष–0009– जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (डीपीएमयू), विपत्र कोड 21–2202–02–001–0009 विषय शीर्ष–0009.28.04– व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवाएँ के अंतर्गत किया जाएगा।

3. प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक को वित्तीय वर्ष 2024–25 के उपरांत कार्य नहीं लिए जाने की स्थिति में संबंधित मद में राशि उपबंध नहीं रहने के कारण सहयोग पोर्टल पर दायर परिवाद एवं जिलो से प्राप्त मांग पत्र के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024–25 के बकाया मानदेय भुगतान हेतु राशि स्वीकृत की जा रही है।

4. प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक का मानदेय (सभी कर/देयता सहित) 30,000/– (तीस हजार) रूपये मात्र प्रतिमाह निर्धारित किया गया है।

5. राशि का आवंटन सहयोग पोर्टल पर दायर परिवाद के तहत कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक 6376 दिनांक 13.11.2026 के

2

आलोक में मधुबनी जिला को कुल 7.80 लाख रूपये आवंटित की जायेगी शेष राशि अन्य जिलो से लंबित मानदेय भुगतान हेतु मांग पत्र प्राप्त होने पर किया जायेगा।

6. CFMS द्वारा जिलावार आवंटित राशि की निकासी सम्बन्धित जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०) राशि की निकासी करेंगे। राशि की निकासी हेतु मानव बल उपलब्ध करा रहे सम्बन्धित एजेंसी के बैंक खाते को CFMS में Payee I'D में जुड़वा लेंगे तत्पश्चात् उपलब्ध कराये गये सेवा के विरूद्ध प्राप्त Tax Invoice के आधार पर सेवा प्रदाता को CFMS से जुडें Payee I'D के माध्यम से भुगतान करना सुनिश्चित करेंगें।

7. अभिश्रव में भारित GST का नियमानुसार भुगतान सरकार को करने की जिम्मेवारी एजेंसी की होगी तथा निर्धारित समयावधि में इसे जमा किये जाने का साक्ष्य विभाग को एजेंसी के द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

8. सबंधित राशि का उपयोग केवल वित्तीय वर्ष 2024–25 के प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक के बकाया मानदेय भुगतान हेतु किया जायेगा।

9. राशि के व्यय में मितव्ययिता अवश्य बरती जाय एवं किसी भी परिस्थिति में संबंधित मद के अलावे अन्य मद में न किया जाय।

10. राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभागीय पत्र संख्या–2561 दिनांक 17.04.1998, वित्त विभाग के संकल्प संख्या 12888 दिनांक 03.12.2024 तथा समय–समय पर निर्गत वित्त विभागीय अनुदेशों/पत्रों के आलोक में की जायेगी।

11. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर अपर मुख्य सचिव का संचिका संख्या बजट–169/43/2026-SEC_5-EDU DEPT (C.No-647300) के नोट–13/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–बजट–169/43/2026-SEC_5-EDU DEPT (C.No-647300).165.....पटना, दिनांक–23/11/2026

प्रतिलिपि :–संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद/विशेष सचिव/निदेशक प्राथमिक शिक्षा/निदेशक माध्यमिक शिक्षा/उप निदेशक प्रशासन–सह–बजट पदाधिकारी/निदेशक प्रशासन/बजट शाखा/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०)/आवेदक अमित कुमार/आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23.11.26
सरकार के उप सचिव